राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/20092 जयपुर, दिनांकः 5/6/17

परिपत्र

विषयः नगर निकाय क्षेत्रो में स्थित विवाह स्थल संचालित किये जाने हेतु अधिक्षण अभियन्ता से प्रस्तावित स्थायी निर्माण/अस्थायी ढांचा की सुरक्षा जांच रिपोर्ट दिये जाने हेतु निर्देश जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयानतर्गत स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/4542 दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 3 में यह प्रावधान किया गया है किः–

"विवाह स्थल संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित (स्थायी निर्माण एवं अस्थायी ढांचा दोनो) भवन की पूर्ण जांच की जावे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि भवन विवाह स्थल संचालन के लिये पूर्णतया सुरक्षित है तथा इसमें विवाह स्थल के संचालन से किसी भी प्रकार का जान–माल का खतरा नही है।"

नगर निकायो के अधिकारियो द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विवाह स्थल संचालित किये जाने हेतु सुरक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र अधिक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी नहीं किये जा रहे है।

अतएव स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11.05.2017 के प्रावधानो के अनुरूप विवाह स्थलो के पंजीयन हेतु सुरक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु नगरीय निकायो के अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/20093 to 20478 दिनांकः 5/6/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0जयपुर
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
6. मुख्य अभियन्ता/अधिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
8. निजी सहायक, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
9. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी